

झारखण्ड की नगरपालिकाओं में महिला पार्षदों की भागीदारी एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण: 2015 के नगर निगम चुनाव परिणामों के विशेष संदर्भ में

चाँदनी कुमारी¹, डॉ सत्यवीर सिंह²

¹पीएचडी रिसर्च स्कालर, राजनीति विज्ञान विभाग, राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़,
झारखण्ड

²सहायक प्रोफेसर व पीएचडी पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, राधा गोविंद
विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड

सारांश

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारशिला है, विशेषकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। यह शोध पत्र झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में महिला पार्षदों की भागीदारी का विश्लेषण 2015 के नगर निगम चुनावों के परिणामों के विशेष संदर्भ में करता है। अध्ययन पाँच प्रमुख निकायों धनबाद, चास, चक्रधरपुर, विश्रामपुर और झुमरीतिलैया के चुनावी आंकड़ों का उपयोग करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि कुल 191 वार्डों में से 58 सीटें (30.37%) महिलाओं ने जीतीं, जो 33% के वैधानिक आरक्षण कोटे के लगभग समकक्ष है। हालाँकि, आरक्षण श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य) में महिलाओं का भागीदारी आसमान है, तथा नेतृत्व के पदों (महापौर या अध्यक्ष) पर केवल एक ही महिला (विश्रामपुर में) निर्वाचित पाई गई। यह अध्ययन संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच खाई को रेखांकित करता है, तथा संस्थागत बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आगे के शोध की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्यशब्द: महिला सशक्तिकरण, शहरी स्थानीय निकाय, राजनीतिक भागीदारी, झारखण्ड, 2015 चुनाव, आरक्षण नीति।

परिचय

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारशिला है। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करके एक ऐतिहासिक बदलाव लाया (Jain, 2011)। ये संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सभी सामाजिक स्तरों की महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करते हैं (Mathew, 2013)। इस नीतिगत हस्तक्षेप का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत बनाना और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में उनके ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को दूर करना था (Buch, 2005)। 74वें संशोधन अधिनियम को शहरी शासन प्रणाली में एक आदर्श बदलाव माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी संरचना को पुनर्जीवित और सशक्त बनाना, जनसंख्या के पिछड़े वर्गों को सशक्त करना और वार्ड समितियों के माध्यम से निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करना था (Baud & Nainan, 2008)। वर्तमान में, भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1.45 मिलियन से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, और देश में स्थानीय सरकारों में महिलाओं की भागीदारी दर 44.4 प्रतिशत है, जो विश्व स्तर पर सबसे उच्च स्तरों में से एक है (Ministry of Panchayati Raj, 2024)।

हालाँकि, संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण जो निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने, एजेंडा निर्धारित करने और अर्थपूर्ण नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करता है के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है (Beall, 2007)। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जहाँ आरक्षण ने महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाया है, वहीं उनकी भागीदारी की गुणवत्ता और प्रभावशीलता अक्सर संस्थागत बाधाओं, सामाजिक-आर्थिक कारकों, जाति, वर्ग और लैंगिक मानदंडों द्वारा मध्यस्थ होती है (Chattopadhyay & Duflo, 2004)। एक अध्ययन में पाया गया कि नाममात्र भागीदारी की दर प्रभावी भागीदारी की तुलना में बहुत अधिक है, जो यह दर्शाता है कि केवल आरक्षण ही महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है (Vyasulu & Vyasulu, 1999)। वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाएँ निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने, एजेंडा निर्धारित करने और अर्थपूर्ण नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम होती हैं, न कि केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहती हैं। सशक्तिकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और इसके तीन आयाम हैं: 'सत्ता प्राप्त करना', 'सत्ता साझा करना', और 'आंतरिक सत्ता' (Rowlands, 1997)।

झारखण्ड एक ऐसा राज्य जो अपनी अद्वितीय जनजातीय विरासत और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है इस संदर्भ में एक आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है। इसकी स्थानीय शासन संरचनाएँ, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकाय, महिलाओं की राजनीतिक

भागीदारी के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। राज्य में 2015 के नगर निगम चुनावों ने वैधानिक आरक्षण कोटे के कार्यान्वयन और उसके परिणामों का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

प्रासंगिक साहित्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर व्यापक शोध शामिल है। हालाँकि, झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों, विशेष रूप से 2015 के चुनाव परिणामों पर केंद्रित अध्ययनों में एक उल्लेखनीय अंतर है (Kumar, 2018)। जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर शोध मौजूद है, शहरी निकायों का विश्लेषण जहाँ शासन की गतिशीलता, सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीतिक दलों की भूमिका भिन्न होती है अपेक्षाकृत सीमित है (Singh, 2016)। विशेष रूप से, आरक्षण श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग) में महिला पार्षदों के वितरण और नेतृत्व के पदों (महापौर/अध्यक्ष) तक उनकी पहुँच का अनुभवजन्य विश्लेषण एक महत्वपूर्ण शोध अंतर बना हुआ है।

यह शोध पत्र इस अंतर को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य 2015 के नगर निगम चुनाव परिणामों के विशेष संदर्भ में झारखण्ड की नगरपालिकाओं में महिला पार्षदों की भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण करना है। अध्ययन पाँच प्रमुख शहरी निकायों धनबाद, चास, चक्रधरपुर, विश्रामपुर और झुमरीतिलैया के चुनावी आंकड़ों का उपयोग करता है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है: (1) महिला पार्षदों का कुल प्रतिनिधित्व वैधानिक आरक्षण कोटे के अनुरूप क्या है? (2) विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में महिलाओं का वितरण किस प्रकार का है? और (3) महिलाओं की नेतृत्व की स्थिति (महापौर/अध्यक्ष) तक पहुँच क्या है?

इन सवालों का समाधान करके, यह अध्ययन संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच की खाई को उजागर करना चाहता है (Kabeer, 1999)। निष्कर्ष न केवल झारखण्ड में शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति को समझने में योगदान देंगे, बल्कि संस्थागत बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आगे के शोध की आवश्यकता पर भी बल देंगे, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं।

साहित्य समीक्षा

वर्ष 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य कर भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया (Baviskar & Mathew, 2009)। इस विधायी हस्तक्षेप का उद्देश्य निर्णयन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करना था (Jain, 1997)। पिछले तीन दशकों में, महिलाएं स्थानीय निकायों में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग

46 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो लैंगिक समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है (Ministry of Panchayati Raj, 2020)।

झारखंड के संदर्भ में, हाल के नगर निगम चुनावों में 50 प्रतिशत वार्ड पार्षद उम्मीदवार महिलाएं थीं, जो आरक्षण नीतियों के कारण बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है (Jharkhand State Election Commission, 2015)। हालाँकि, विद्वानों का साहित्य वर्णनात्मक (descriptive) और आनुपातिक (substantive) प्रतिनिधित्व के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित करता है (Pitkin, 1967; Rai, 2005)।

शोध बताते हैं कि संख्यात्मक उपस्थिति के बावजूद, पितृसत्तात्मक मानदंड, पति या पुरुष रिश्तेदारों द्वारा प्रॉक्सी नेतृत्व (तथाकथित 'पार्षद पति'), प्रशिक्षण के अवसरों की कमी, सीमित शिक्षा, वित्तीय निर्भरता और संस्थागत बाधाएं महिला पार्षदों की वास्तविक भागीदारी एवं निर्णयन क्षमता में बाधक हैं (Mukhopadhyay, 2002; Datta, 2005; Rai, 2011)। अध्ययनों से पता चलता है कि आरक्षण से महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति तो बढ़ी है, किंतु वास्तविक सत्ता में परिवर्तन की शर्तें नहीं बनी हैं (Baviskar, 2004; Hust, 2004)।

इस पृष्ठभूमि में, झारखंड के 2015 के नगर निगम चुनाव परिणामों का विशेष अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह आरक्षण के बाद महिला पार्षदों की सहभागिता, उनकी चुनावी सफलता, निर्णयन स्वायत्तता और सशक्तिकरण के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है (Panda, 2016; Banerjee, 2018)। यह शोध राज्य स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधक एवं सहायक कारकों की पहचान करने में सहायक होगा (Das, 2013; Jha, 2014)।

सामग्री एवं विधि

इस अध्ययन को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित सामग्री एवं विधियों का उपयोग किया गया:

1. अध्ययन क्षेत्र एवं डिज़ाइन:

यह अध्ययन झारखण्ड राज्य के पाँच चयनित जिलों - धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू एवं कोडरमा - में स्थित सात शहरी स्थानीय निकायों (धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम, चक्रधरपुर नगर परिषद, विश्रामपुर नगर परिषद, झुमरीतिलैया नगर परिषद, एवं दो नगर पंचायतों) पर केंद्रित रहा। अध्ययन की डिज़ाइन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रखी गई।

2. आँकड़ों का स्रोत एवं संग्रहण विधि:

इस शोध में द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया। वर्ष 2015 के झारखण्ड नगर निगम चुनाव परिणामों से संबंधित समस्त आँकड़े झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक रिपोर्टों एवं चुनावी अभिलेखों से प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त, संबंधित नगर निगमों एवं नगर परिषदों के

अभिलेखागार से वार्ड-वार चुनाव परिणामों, निर्वाचित पार्षदों की सूची तथा उनकी आरक्षण श्रेणियों का विवरण एकत्रित किया गया।

3. नमूनाकरण एवं चयन मानदंड:

अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि अपनाई गई। झारखण्ड राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में से उन निकायों का चयन किया गया जिनके चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से उपलब्ध थे, जहाँ महिला आरक्षण व्यवस्था लागू थी, तथा जो राज्य के विभिन्न भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे।

4. चरों का वर्गीकरण एवं मापन:

अध्ययन में निम्नलिखित चरों को परिभाषित एवं मापा गया:

- **आश्रित चर:** निर्वाचित महिला पार्षदों की संख्या एवं प्रतिशत, विभिन्न आरक्षण श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित) में महिलाओं का वितरण, तथा शीर्ष नेतृत्व पदों (अध्यक्ष/महापौर) पर महिलाओं की उपस्थिति।
- **स्वतंत्र चर:** निकाय का प्रकार (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत), कुल वार्डों की संख्या, जिला, तथा आरक्षण श्रेणियाँ।

5. आँकड़ों का विश्लेषण एवं प्रसंस्करण:

एकत्रित आँकड़ों को सांख्यिकीय रूप से प्रसंस्कृत करने हेतु Microsoft Excel का उपयोग किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आवृत्ति वितरण, प्रतिशत एवं औसत की गणना के माध्यम से किया गया। विभिन्न निकायों, जिलों एवं आरक्षण श्रेणियों के बीच महिला प्रतिनिधित्व की तुलना सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत की गई। प्रत्येक निकाय हेतु अलग-अलग तालिकाएँ निर्मित कर तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

6. नैतिकी एवं सीमाएँ:

चूँकि यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित था, अतः किसी व्यक्तिगत साक्षात्कार अथवा प्राथमिक सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी आँकड़ों को उनके मूल स्रोतों से प्रामाणिक रूप में लिया गया तथा किसी भी प्रकार का आँकड़ा संशोधन अथवा हेरफेर नहीं किया गया। अध्ययन की मुख्य सीमा यह रही कि केवल सीमित संख्या में निकायों (सात निकाय) का चयन किया गया, जिसके कारण परिणामों को संपूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, द्वितीयक आँकड़ों पर निर्भरता के कारण महिला पार्षदों की व्यक्तिगत अनुभवात्मक स्थिति, चुनौतियाँ एवं सशक्तिकरण के गुणात्मक पहलुओं का मूल्यांकन इस अध्ययन का हिस्सा नहीं था।

परिणाम एवं विवेचना

इस अध्ययन का उद्देश्य झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में 2015 के चुनाव परिणामों के आधार पर महिला पार्षदों की भागीदारी का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत खंड में सभी पाँच तालिकाओं के निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उनकी तुलना पूर्व में किए गए शोधों से की गई है।

तालिका-01: नगर निगमों में महिला पार्षदों का चुनाव परिणाम (2015)

क्र.सं.	नगर निगम/नगर परिषद का नाम	कुल वार्ड	महिला पार्षदों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	धनबाद नगर निगम	55	15	27.27%
2	चास नगर निगम, बोकारो	35	12	34.29%
3	चक्रधरपुर नगर परिषद	23	7	30.43%
4	विश्रामपुर नगर परिषद	20	6	30.00%
5	झुमरीतिलैया नगर परिषद	28	9	32.14%

तालिका-01 में झारखण्ड के चयनित नगर निगमों एवं नगर परिषदों में वर्ष 2015 के नगरीय निकाय चुनावों में निर्वाचित महिला पार्षदों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल संवैधानिक आरक्षण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व क्षमता तथा स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुदृढ़ होती स्वीकार्यता का भी संकेतक है। चयनित निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27.27 प्रतिशत से 34.29 प्रतिशत के मध्य पाया गया, जो शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति को दर्शाता है (भारत सरकार, 1992; चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो, 2004)।

अध्ययन के अनुसार चास नगर निगम, बोकारो में महिला पार्षदों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक 34.29 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत बेहतर शहरीकरण, नागरिक जागरूकता तथा महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का संकेत देता है (गोयल एवं शर्मा, 2009; संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)। इसके पश्चात झुमरीतिलैया नगर परिषद (32.14 प्रतिशत) तथा चक्रधरपुर नगर परिषद (30.43 प्रतिशत) में महिलाओं की भागीदारी लगभग एक-तिहाई रही, जिससे स्पष्ट होता है कि छोटे एवं मध्यम आकार के नगरीय निकायों में भी महिला नेतृत्व निरंतर सशक्त हो रहा है (बाविस्कर एवं मैथ्यू, 2009; अग्रवाल, 2010)।

विश्रामपुर नगर परिषद में महिला प्रतिनिधित्व 30.00 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो स्थानीय शासन में महिलाओं की स्थिर एवं संतुलित भागीदारी को दर्शाता है। दूसरी ओर, धनबाद नगर निगम में महिला प्रतिनिधित्व 27.27 प्रतिशत रहा, जो अध्ययन में न्यूनतम प्रतिशत है। तथापि कुल 15 महिला पार्षदों के साथ यह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल

प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या के आधार पर भी किया जाना चाहिए (फिलिप्स, 1995; मातलैंड, 1998)।

समग्रतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि चयनित सभी नगरीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग एक-तिहाई के स्तर तक पहुँच चुका है, जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, लैंगिक समानता तथा स्थानीय शासन में महिलाओं के बढ़ते राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण संकेतक है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि वर्ष 2015 के झारखण्ड नगर निकाय चुनावों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्हें स्थानीय शासन एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदार के रूप में स्थापित किया (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2014; संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)।

तालिका-02: आरक्षण कोटि के अनुसार महिला पार्षदों का वितरण

क्र.सं.	आरक्षण श्रेणी	कुल महिला पार्षद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	धनबाद नगर निगम	15	2	0	4	9
2	चास नगर निगम	12	3	0	5	4
3	चक्रधरपुर नगर परिषद	7	0	2	2	3
4	विश्रामपुर नगर परिषद	6	2	0	2	2
5	झुमरीतिलैया नगर परिषद	9	1	0	5	3

तालिका-02 में वर्ष 2015 के झारखण्ड के चयनित नगर निगमों एवं नगर परिषदों में निर्वाचित महिला पार्षदों का आरक्षण श्रेणियों के आधार पर वितरण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय एवं समावेशी प्रतिनिधित्व की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न सामाजिक वर्गों की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित हुई (भारत सरकार, 1992; मातलैंड, 1998)।

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार **धनबाद नगर निगम** में निर्वाचित 15 महिला पार्षदों में 9 अनारक्षित, 4 पिछड़ा वर्ग तथा 2 अनुसूचित जाति वर्ग से थीं, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं पाया गया। **चास नगर निगम** में पिछड़ा वर्ग (5) तथा अनारक्षित वर्ग (4) की महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से 3 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं। इसके विपरीत **चक्रधरपुर नगर परिषद** में अनुसूचित जनजाति वर्ग की 2 महिला पार्षदों का निर्वाचन स्थानीय जनजातीय जनसंख्या की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करता है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग से क्रमशः 2 एवं 3 महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुईं (बाविस्कर एवं मैथ्यू, 2009)।

इसी प्रकार **विश्रामपुर नगर परिषद** में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग से समान रूप से 2-2 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं, जो अपेक्षाकृत संतुलित सामाजिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। वहीं **झुमरीतिलैया नगर परिषद** में पिछड़ा वर्ग की 5 महिला पार्षदों का निर्वाचन सर्वाधिक रहा, जबकि अनारक्षित वर्ग से 3 तथा अनुसूचित जाति वर्ग से 1 महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुईं।

समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित नगरीय निकायों में **पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग** की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक रहा, जबकि **अनुसूचित जनजाति वर्ग** का प्रतिनिधित्व केवल चक्रधरपुर नगर परिषद तक सीमित रहा। यह प्रवृत्ति विभिन्न नगर निकायों की सामाजिक-जनसांख्यिकीय संरचना तथा आरक्षण व्यवस्था के स्थानीय प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि नगरीय स्थानीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था ने विभिन्न सामाजिक वर्गों की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया है, जिससे स्थानीय शासन में सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण को संस्थागत आधार प्राप्त हुआ (चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो, 2004; संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)।

तालिका-03: महिला पार्षदों की संख्या में शहरी स्थानीय निकायों का तुलनात्मक विश्लेषण

क्र.सं.	शहरी निकाय का प्रकार	कुल निकाय	कुल वार्ड	महिला पार्षद	औसत प्रतिशत
1	नगर निगम	2	90	27	30.00%
2	नगर परिषद (वर्ग-ख)	3	71	22	30.99%
3	नगर पंचायत	2	30	9	30.00%
कुल	सभी निकाय	7	191	58	30.37%

तालिका-03 में वर्ष 2015 के झारखण्ड के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में महिला पार्षदों की संख्या का निकायवार तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों में अपेक्षाकृत संतुलित रहा तथा निकाय के आकार अथवा प्रशासनिक श्रेणी का महिला प्रतिनिधित्व पर उल्लेखनीय प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। यह प्रवृत्ति स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की संस्थागत भागीदारी के सुदृढ़ होने का संकेत देती है (भारत सरकार, 1992; चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो, 2004)।

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार **दो नगर निगमों** के 90 वार्डों में 27 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं, जो **30.00 प्रतिशत** प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। वहीं **तीन नगर परिषदों (वर्ग-ख)** के 71 वार्डों में 22 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं, जहाँ महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व **30.99 प्रतिशत** रहा, जो अध्ययन में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त **दो नगर पंचायतों** के 30 वार्डों में 9 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं, जो **30.00 प्रतिशत** प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है।

समग्र रूप से अध्ययन में सम्मिलित सात शहरी स्थानीय निकायों के 191 वार्डों में कुल 58 महिला पार्षद निर्वाचित हुईं तथा महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 30.37 प्रतिशत दर्ज किया गया। यह तथ्य इंगित करता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी विभिन्न श्रेणी के शहरी निकायों में लगभग समान स्तर पर विकसित हुई है। नगर परिषदों में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व यह संकेत देता है कि मध्यम आकार के शहरी निकाय महिलाओं के नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, जबकि नगर निगम एवं नगर पंचायतों में भी प्रतिनिधित्व लगभग समान स्तर पर बना रहा (बाविस्कर एवं मैथ्यू, 2009; मातलैंड, 1998)।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2015 के झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का औसतन लगभग एक-तिहाई (30.37%) प्रतिनिधित्व स्थानीय लोकतंत्र में लैंगिक समावेशन एवं राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रभावी प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि आरक्षण व्यवस्था ने विभिन्न प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत आधार प्रदान किया है तथा उन्हें स्थानीय शासन एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदार के रूप में स्थापित किया है (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2014; संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)।

तालिका-04: जिलावार महिला पार्षदों की भागीदारी

क्र.सं.	जिला	निकायों की संख्या	कुल वार्ड	महिला पार्षद	प्रतिशत (%)
1	धनबाद	1	55	15	27.27%
2	बोकारो	1	35	12	34.29%
3	पश्चिमी सिंहभूम	1	23	7	30.43%
4	पलामू	1	20	6	30.00%
5	कोडरमा	1	28	9	32.14%

तालिका-04 में वर्ष 2015 के झारखण्ड के चयनित जिलों में महिला पार्षदों की भागीदारी का जिलावार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि सभी जिलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27.27 प्रतिशत से 34.29 प्रतिशत के मध्य रहा, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की सुदृढ़ होती राजनीतिक भागीदारी का संकेत देता है (भारत सरकार, 1992; चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो, 2004)। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व बोकारो में 34.29 प्रतिशत तथा इसके बाद कोडरमा में 32.14 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में क्रमशः 30.43 प्रतिशत एवं 30.00 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके विपरीत धनबाद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27.27 प्रतिशत रहा, यद्यपि कुल 15 महिला पार्षदों के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी। यह इंगित करता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या एवं स्थानीय सामाजिक-जनसांख्यिकीय संदर्भों के साथ भी किया जाना चाहिए (मातलैंड, 1998; बाविस्कर एवं

मैथ्यू, 2009)। समग्रतः अध्ययन दर्शाता है कि चयनित जिलों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत संतुलित रही, जो स्थानीय लोकतंत्र में लैंगिक समावेशन, राजनीतिक सशक्तिकरण तथा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता को पुष्ट करती है (संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)।

तालिका-05: नेतृत्व पदों पर महिलाओं की प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	निकाय का नाम	अध्यक्ष/महापौर	पद	आरक्षण श्रेणी
1	विश्रामपुर नगर परिषद	हलीमा बीबी	अध्यक्ष	अनारक्षित (महिला)
2	चास नगर निगम	-	महापौर	- (पुरुष)
3	धनबाद नगर निगम	-	महापौर	- (पुरुष)
4	चक्रधरपुर नगर परिषद	-	अध्यक्ष	- (पुरुष)

तालिका-05 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में महिला पार्षदों की उल्लेखनीय उपस्थिति के बावजूद शीर्ष नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित रहा। अध्ययन में सम्मिलित चार निकायों में केवल विश्रामपुर नगर परिषद में हलीमा बीबी अनारक्षित (महिला) श्रेणी से अध्यक्ष निर्वाचित हुईं, जबकि चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम तथा चक्रधरपुर नगर परिषद में महापौर/अध्यक्ष पद पुरुषों के पास रहे। यह स्थिति इंगित करती है कि निर्वाचित महिला पार्षदों की संख्या में वृद्धि स्वतः शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती (फिलिप्स, 1995; मातलैंड, 1998)।

अनारक्षित (महिला) श्रेणी से महिला अध्यक्ष का निर्वाचन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उपयुक्त राजनीतिक अवसर एवं सामाजिक स्वीकृति मिलने पर महिलाएँ नेतृत्वकारी भूमिकाओं में प्रभावी रूप से उभर सकती हैं। इसके विपरीत अधिकांश निकायों में पुरुष नेतृत्व की निरंतरता स्थानीय सत्ता संरचना, राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया तथा निर्णयकारी पदों पर विद्यमान लैंगिक असमानता को प्रतिबिंबित करती है (चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो, 2004; बाविस्कर एवं मैथ्यू, 2009)। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के साथ-साथ नेतृत्वकारी पदों पर उनकी समान एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना स्थानीय लोकतंत्र में वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण की अनिवार्य शर्त है (संयुक्त राष्ट्र महिला, 2018)।

निष्कर्ष

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि वर्ष 2015 के झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन **30.37 प्रतिशत** रहा, जो संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्थानीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का प्रमाण है। विभिन्न आरक्षण श्रेणियों एवं निकायों में महिलाओं की उपस्थिति सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करती है, किन्तु शीर्ष नेतृत्व पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित

पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के मध्य अभी भी अंतर विद्यमान है। अतः महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक प्रशिक्षण, दलगत अवसरों तथा निर्णय-निर्माण में प्रभावी भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु संस्थागत एवं नीतिगत प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन निष्कर्षित करता है कि झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (30.37%) संवैधानिक आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है, किन्तु शीर्ष नेतृत्व पदों पर अत्यंत सीमित उपस्थिति (केवल 1/4) यह सिद्ध करती है कि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के मध्य अभी भी महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है।

आभार

इस शोध-पत्र के सफल संपादन हेतु झारखण्ड राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, चयनित जिलों के जिला प्रशासन एवं नगर निकाय अधिकारियों का हार्दिक आभार। साथ ही, समस्त महिला पार्षदों, स्थानीय राजनीतिक दलों एवं समाजसेवियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह अध्ययन संभव हो सका।

संदर्भ सूची

1. Agrawal, R. (2010). *Women in Urban Local Governance: A Study of Municipalities in Jharkhand*. Unpublished M.Phil Dissertation, Ranchi University.
2. Banerjee, S. (2018). Reservation and Women's Participation in Urban Governance. *Indian Journal of Political Science*, 79(4), 789-802.
3. Baud, I., & Nainan, N. (2008). Negotiated Spaces for Representation in Mumbai: Ward Committees, Advanced Locality Management and the Politics of Middle-Class Activism. *Environment and Urbanization*, 20(2), 483-499.
4. Baviskar, B. S. (2004). Impact of Women's Participation in Local Governance in Rural India. *Indian Journal of Public Administration*, 50(3), 333-345.
5. Baviskar, B. S., & Mathew, G. (2009). Introduction. In B. S. Baviskar & G. Mathew (Eds.), *Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India* (pp. 1-22). Sage Publications.
6. Beall, J. (2007). Cities, Governance and Gender. In R. Paddison (Ed.), *Handbook of Urban Studies* (pp. 427-444). Sage Publications.
7. Buch, N. (2005). Law of Reservation for Women in Local Bodies. *Economic and Political Weekly*, 40(42), 4556-4563.
8. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443.
9. Das, S. K. (2013). *Political Empowerment of Women in Jharkhand*. Unpublished Doctoral Thesis, Ranchi University.

10. Datta, P. (2005). Women in Panchayats: Opportunities, Challenges and Supports. In L. C. Jain (Ed.), *Decentralisation and Local Governance* (pp. 343-365). Orient Longman.
11. Government of India. (1992). *The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992*. Ministry of Law and Justice.
12. Goyal, R., & Sharma, N. (2009). Urbanisation and Women's Political Participation in India. *Journal of Urban Affairs*, 12(3), 45-63.
13. Hust, E. (2004). *Women's Political Representation and Empowerment in India: A Million Indiras Now?* Manohar Publishers.
14. Jain, D. (1997). *Women, Development and the UN*. Indiana University Press.
15. Jain, D. (2011). *Women, Development and the UN: A Sixty-Year Quest for Equality and Justice*. Indiana University Press.
16. Jha, R. (2014). Challenges to Women's Political Participation in Tribal Areas of Jharkhand. *Journal of Tribal Studies*, 18(1), 67-85.
17. Jharkhand State Election Commission. (2015). *Report on Municipal Elections 2015*. Government of Jharkhand.
18. Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464.
19. Kumar, A. (2018). Women's Participation in Urban Local Bodies: A Study of Jharkhand. *Journal of Political Studies*, 25(1), 112-128.
20. Maitland, R. E. (1998). Women's Representation in National Legislatures: Developed and Developing Countries. *Legislative Studies Quarterly*, 23(1), 109-125.
21. Mathew, G. (2013). Panchayati Raj in India: An Overview. In G. Mathew (Ed.), *Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India 2013* (pp. 1-22). Institute of Social Sciences.
22. Ministry of Panchayati Raj. (2020). *Annual Report 2019-20*. Government of India.
23. Ministry of Panchayati Raj. (2024). *Women in Local Governance: A Statistical Overview*. Government of India.
24. Mukhopadhyay, A. (2002). Decentralisation and Gender Equity in South Asia: An Issues Paper. *South Asian Women's Network (SWAN)*.
25. Panda, S. (2016). Women's Political Empowerment in Urban Local Bodies: A Study of Jharkhand. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 45-62.
26. Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
27. Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
28. Rai, S. M. (2005). Gender and Development. In J. Haynes (Ed.), *Palgrave Advances in Development Studies* (pp. 211-232). Palgrave Macmillan.
29. Rai, S. M. (2005). Gender and Development. In J. Haynes (Ed.), *Palgrave Advances in Development Studies* (pp. 211-232). Palgrave Macmillan.
30. Rai, S. M. (2011). The Politics of Presence: Women in Local Governance. *Economic and Political Weekly*, 46(10), 45-52.

31. Rowlands, J. (1997). *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*. Oxfam Publications.
32. Singh, R. (2016). Women in Urban Local Self-Government: A Study of Municipalities in Bihar and Jharkhand. *Indian Journal of Public Administration*, 62(3), 456-472.
33. United Nations Development Programme (UNDP). (2014). *Gender Equality in Local Governance: A UNDP Framework*. UNDP.
34. United Nations Women. (2018). *Women's Participation in Local Governance: A Global Review*. UN Women.
35. Vyasulu, P., & Vyasulu, V. (1999). Women in Panchayati Raj: Grassroots Democracy in India. *Economic and Political Weekly*, 34(12), 725-730.